कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/चार/तीन/सं.क.वि./2025/893 भिलाई,दिनांक 27/11/2025

(नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित निजी भवनों/भूमियों के स्वत्वाधिकार के अन्तरण के संबंध में)

//अधिसूचना//

निगम परिषद् (सामान्य सभा) नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा दिनांक 13.11.2025 को नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित निजी भवनों/भूमियों के स्वत्वाधिकार के अन्तरण के संबंध में प्रस्ताव क्र.–5(ड) 20 में निम्नानुसार संकल्प पारित किया गया हैः–

(1) हस्तांतरणकर्ता (केता/विक्रेता) को विहित प्रारूप में आवेदन शपथ पत्र सहित नगर पालिक निगम, भिलाई के काउन्टर पर प्रस्तुत करना होगा। काउन्टर पर आवेदन तभी स्वीकार किया जावेगा जब आवेदक ने नियमानुसार हस्तांतरण शुल्क जमा कर दिया गया हो ।
(2) विरासत हक के अंतर्गत प्रस्तुत हस्तांतरण आवेदन के साथ भवन/भूमि स्वामित्व के पंजीयन की छाया प्रति, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र, चालू वित्तीय वर्ष के सम्पत्तिकर एवं अन्य राजस्व करों की रसीद की छाया प्रति, हस्तांतरण (स्वत्वाधिकार के अन्तरण) शुल्क जमा करने की रसीद की छाया प्रति, प्रकाशन/हस्तांतरण शुल्क जमा करने की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य होगा ।
(3) क्रय–विक्रय द्वारा हस्तांतरण (स्वत्वाधिकार के अन्तरण) आवेदन के साथ पंजीयन एवं भूस्वामित्व की छाया प्रति केता–विक्रेता का शपथ पत्र वर्तमान वर्ष के सम्पत्तिकर रसीद की छाया प्रति, विक्रय का अनुबंध हस्तांतरण एवं प्रकाशन शुल्क जमा करने की रसीद की छाया प्रति ।
(4) इनमें से कोई भी दस्तावेज न होने पर आवेदन फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा। निगम के काउन्टर में आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की स्थिति में आवेदन की प्राप्ति की पावती दी जावेगी। हस्तांतरण शुल्क विरासत हक के प्रकरणों में कोई हस्तांतरण शुल्क नहीं लिया जावेगा। सिर्फ प्रकाशन शुल्क लेकर विज्ञापन जारी होने के तिथि से 15 दिनों तक कोई आपत्ति नहीं आने पर हस्तांतरण आदेश जारी किया जावेगा तथा शेष निजी भवनों/भूमियों के स्वामी के अंतरण के लिये भवन/भूमि स्वामी से निम्नानुसार हस्तांतरण शुल्क लिया जायेगा :–

1. प्रकाशन शुल्क – रू. 2000.00
2. हस्तांतरण फार्म शुल्क – रू. 50.00
3. नामांतरण शुल्क –

(क) आवासीय भवन जिनका निर्मित क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट तक है – रू. 2500.00
(ख) आवासीय भवन जिनका निर्मित क्षेत्रफल 2400 वर्गफुट से अधिक है – रू. 5000.00
(ग) व्यवसायिक भवन जिनका निर्मित क्षेत्रफल 300 वर्गफुट तक है – रू. 2500.00
(घ) व्यवसायिक भवन जिनका निर्मित क्षेत्रफल 300 वर्गफुट से अधिक है – रू. 5000.00

हस्तांतरण हेतु निगम को आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् "समाचार पत्र" में निगम द्वारा ईश्तहार प्रकाशित किया जावेगा। विज्ञापन जारी दिनांक से 15 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार हस्तांतरण आदेश पारित कर अभिलेख में नाम परिवर्तन किया जावेगा तथा जिन प्रकरणों में विज्ञापन जारी होने के 15 दिनों के भीतर आपत्ति प्राप्त होने पर नियमानुसार आपत्ति की सुनवाई कर नियमानुसार हस्तांतरण आदेश पारित किया जावेगा ।

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रांतर्गत स्थित समस्त निजी भवनों/भूमियों स्वामियों पर प्रभावशील होगी।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई

पृ0क्रमांक/चार/तीन/सं.क.वि./2025/894 भिलाई,दिनांक27/11/2025

प्रतिलिपि–

1. महापौर महोदय, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. अपर आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपायुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. राजस्व अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त, जोन क्र. 1, 2, 3, 4 एवं 5, नगरपालिक निगम भिलाई को सूचनार्थ एवं सूचना पटल में नागरिको की जानकारी हेतु अवलोकनार्थ चस्पा करने हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी, डाटा सेंटर, नगरपालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई